राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
Email-we.wshgi@gmail.com दूरभाष 0141–2716419

क्रमांक एफ 19 ( )/WE/WSHGI/BA-120/IMSSSY /2019-20/ 37614 दिनांक 17/12/19

इन्दिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना
"शिक्षा सेतु"

परिपत्र

प्रस्तावना –

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार ने महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण के उद्देश्य से बजट घोषणा संख्या 120 वर्ष 2019–20 में राशि रू. 1000 करोड़ की इंदिरा महिला शक्ति निधि के गठन की घोषणा की है। उक्त निधि का उपयोग महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु सहयोग, आधुनिक अनुसंधान हेतु सहायता, कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण, जागरूकता हेतु शिक्षा तथा पीड़ित महिलाओं के पुर्नवास संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाएगा। अतः उक्त निधि से महिलाओं/बालिकाओं को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से निःशुल्क माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक प्रशिक्षण करवाया जाना प्रस्तावित है।

उद्देश्य –

विद्यालयों से ड्रॉप आउट हो चुकी बालिकाओं तथा किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से वंचित महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग के Field functionaries के माध्यम से प्रोत्साहित करवाकर उन्हें राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा से जोडा जायेगा ताकि उनका क्षमता वर्धन हो सके तथा तथा उन्हें आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सके।

<u>योजना का क्रियान्वयन एवं प्रकिया–</u>

विद्यालयों से ड्रॉप आउट हो चुकी बालिकाओं तथा किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से वंचित महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक पाठयकम हेतु राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीकरण करवाये जाने पर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर द्वारा उक्त श्रेणी की महिलाओं का प्रवेश शुल्क, पुनःप्रवेश/आंशिक प्रवेश हेतु पंजीयन एवं परीक्षा शुल्क, प्रायोगिक विषय शुल्क, अग्रेषण शुल्क तथा सैद्वान्तिक व प्रायोगिक परीक्षा शुल्क नहीं लिया जायेगा उक्त राशि का पुनर्भरण/भुगतान निदेशालय महिला अधिकारिता द्वारा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर को किया जायेगा । राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल एक शैक्षिक वर्ष मे दो सार्वजनिक परीक्षाऐं (मार्च–मई और अक्टूबर – नवम्बर) आयोजित करता है व एक बार पंजीकृत होने के पश्चात 5 वर्ष के समय में परीक्षा के 9 के अवसर देता है। विद्यालयों से ड्रॉप आउट हो चुकी या किसी कारण वश औपचारिक शिक्षा से वंचित महिलाओं एवं बालिकाओं को स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षा से जोड़ने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के Field functionaries एवं मानदेय कर्मियों के माध्यम से प्रेरित किया जायेगा ।

<u>भुगतान प्रकिया–</u>

महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के पोर्टल पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु पंजीकरण करने वाली बालिकाओं के प्रवेश शुल्क, पुनःप्रवेश/आंशिक प्रवेश हेतु पंजीयन एवं परीक्षा शुल्क, प्रायोगिक विषय शुल्क, अग्रेषण शुल्क तथा सैद्वान्तिक व प्रायोगिक परीक्षा शुल्क का भुगतान निदेशालय महिला अधिकारिता द्वारा किया जायेगा। पंजीकृत महिलायें जिनसे प्रवेश शुल्क, पुनःप्रवेश/आंशिक प्रवेश हेतु पंजीयन एवं परीक्षा शुल्क, प्रायोगिक विषय शुल्क, अग्रेषण शुल्क तथा सैद्वान्तिक व प्रायोगिक परीक्षा शुल्क नही लिया गया है की सूची राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर द्वारा महिला अधिकारिता को शुल्क के पुर्नभरण हेतु दी जायेगी।